

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या- 4(न) गठ-15/2008 - 296 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अनुसूची 'क' के अंतर्गत पड़ने वाले सारण जिला की अनुसूची में यथा वर्णित चौहद्दी के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-19471/ दिनांक-04.06.09 के द्वारा पूर्व प्रकाशित है, नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधान उक्त क्षेत्रों पर लागू करते हैं:-

अनुसूची 'क'

1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं०

<u>ग्राम का नाम</u>	<u>थाना सं०</u>
1. एकमा	183
2. राजापुर	78
3. हंसराजपुर	164
4. हरपुर	165
5. एकारी	166
6. हेकाम	167
7. भरहोपुर	77


(ख) चौहद्दी

उत्तर	हुस्सेपुर/परसा
दक्षिण	नौतन/माने
पूरब	परसा/छिन्नवलिया
पश्चिम	आमडाढ़ी

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, एकमा बाजार कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


13/01/10
(अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव


नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-4(न) गठ-15/2008 - 296 /न०वि०एवं.आ०वि०

/पटना, दिनांक-14-01-10

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।


13/01/10
संयुक्त सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-4(न) गठ-15/2008 - 296

/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-14-01-10

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा/जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, छपरा/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/01/10

संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक-14-01-10

ज्ञापांक-4(न) गठ-15/2008 - 296

/न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/01/10

संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-4(न) गठ-15/2008

अधिसूचना संख्या- 296

दिनांक-14-01-10/का निम्नलिखित

अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

**Government of Bihar
Urban Development and Housing Department**

No- /In exercise of powers conferred by section 6 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007) the Governor of Bihar is pleased to constitute the following Nagar Panchayat, draft of which is previously published through the department's notification no. 1947 dated 04.06.09 for the purpose of the said Act in the areas lying within the places noted below in schedule 'A' in the District of Saran and bounded as follows and to apply to the said areas the relevant provisions of the Act:-

Schedule- A

1 (a) Name of the Villages and Thana Nos

<u>Name of Village</u>	<u>Thana No.</u>
1. Ekama	183
2. Rajapur	78
3. Hansrajpur	164
4. Harpur	165
5. Ekari	166
6. Hekam	167
7. Bharhopur	77

(b) Boundary:-

North-	Hussepur/Parasa
South-	Nautan/Mane
East-	Parasa/Chitrawaliya
West-	Amadarhi

This area will be called Nagar Panchayat, Ekama Bazaar

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Ashok Kumar Singh)

Joint Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No 4 (N) Gath-15/2008 - 297

UD&HD

Dated:- 14-01-10

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

ms/h
13/01/10

(Ashok Kumar Singh)

Joint Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No 4 (N) Gath-15/2008 - 297

UD&HD

Dated:- 14-01-10

Copy to All Departments/ Departmental Head/All District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Chapra/ Private Secretary to the hounrable Chief Minister/ Priviate Secreatary to the hounrable Minister Urban Development and Housing Department/ Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

ms/h
13/01/10

(Ashok Kumar Singh)

Joint Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No 4 (N) Gath-15/2008

297

UD&HD

Dated:- 14-01-10

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

ms/h
13/01/10

(Ashok Kumar Singh)

Joint Secretary

Urban Development and Housing Department

75